

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(02)राज/वाद/18 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 01-10-2020

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-1A, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में अधीनस्थ कार्यालय हेतु कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आरक्षित सूची में से पिक-अप किये गये अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 जयपुर, दिनांक 16.06.2020 के द्वारा इस विभाग को आवंटित 10 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.09.2020 द्वारा जारी किये गये थे।

समसंख्यक आदेश दिनांक 02.09.2020 की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने वाले निम्न 03 अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है:-

क.स.	मेरिट न0	रोल न0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	978	894250	आशीष पराशर	अरविंद शर्मा	04.12.93	सामान्य
2	1030	430567	मनीष शर्मा	नर्बदा शंकर	03.11.91	सामान्य
3	1305	834411	सांवरमल कुडी	सुरजाराम कुडी	15.06.91	ओबीसी

501
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 16.06.2020 के क्रम में उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र सलग्न कर प्रेषित है।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर।
5. संबंधित विशिष्ट/अपर लोक अभियोजकगण।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग।
7. संबंधित कोषाधिकारी।
8. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
9. संबंधित अभ्यर्थी.....।
10. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

501/01/2020
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि